UPVR010051672026

IN THE COURT OF ADJ/F.T.C. (14th F.C.), Varanasi

P.O.– (Manoj Kumar–II), (HJS)– UP01827

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1702/2026

वैभव जायसवाल पुत्र संजय जायसवाल,
निवासी मकान संख्या K-57/84-A नवापुरा, दारानगर थाना- जैतपुरा, जिला वाराणसी।

अभियुक्त/आवेदक

बनाम

सरकार

विपक्षी/अभियोजन

मुकदमा अपराध संख्या- 235/2025,
धारा- 8/21/29/26(डी), एन.डी.पी.एस. एक्ट व
धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338 व 340(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- कोतवाली, वाराणसी।

1- अभियुक्त वैभव जायसवाल की ओर से मु.अ.सं.- 235/2025, धारा 8/21/29/26(डी), एन.डी.पी.एस. एक्ट व धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338 व 340(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली, जिला-वाराणसी के अभियोग में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.03.2026 से जिला कारागार, वाराणसी में निरुद्ध है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि उपायुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन, उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या ड्रग/8322/2345 लखनऊ दिनांक 11.11.2025 के अनुपालन में सहायक आयुक्त (औषधि), वाराणसी मण्डल के नेतृत्व में वादी मुकदमा / औषधि निरीक्षक व अन्य औषधि निरीक्षकों द्वारा दिनांक 12.11.2025 को फर्म मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची, झारखण्ड से जनपद वाराणसी व उत्तरप्रदेश के अन्य जनपदों में कोडीनयुक्त कप सिरप की भारी मात्रा का विक्रय किये जाने के सत्यापन हेतु 16 फर्मो का निरीक्षण किया गया जिसमें 03 फर्म क्रमशः मेसर्स जीटी इण्टरप्राइजेज, मेसर्स शिवा फार्मा एवं मेसर्स हर्ष फार्मा मौके पर कार्यरत नही मिले तथा बन्द पायी गयी । पोर्टल पर उपलब्ध नंबरो पर सम्पर्क करने पर मोबाईल नंबर बन्द होने के कारण सम्पर्क स्थापित नही हो सका, जिसके कारण कोडीनयुक्त कफ सिरप क्रय–विक्रय अभिलेखों का सत्यापन नही हो सका ।

उक्त टीम द्वारा दिनांक 13.11.2025 व 14.11.2025 को कुल 10 फर्मो का सत्यापन किया गया जिसमें से 05 फर्म मेसर्स डीएसए फार्मा, मेसर्स महाकाल मेडिकल स्टोर, मेसर्स निशांत फार्मा, मेसर्स वीपीएम मेडिकल एजेंसी एवं श्री बालाजी मेडिकल मौके पर कार्यरत नही मिले तथा पोर्टल पर उपलब्ध नंबरो पर सम्पर्क करने पर मोबाईल नंबर बन्द होने के कारण सम्पर्क स्थापित नही हो सका, जिसके कारण कोडीनयुक्त कफ सिरप क्रय–विक्रय अभिलेखों का सत्यापन नही हो सका, जिससे स्पष्ट होता है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप का दुरूपयोग नशे के रूप में किया गया ।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.
(14 वाँ वि. आ.), वाराणसी

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.05 12:04:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपरोक्त फर्मो की जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उपरोक्त क्रेता फर्मो द्वारा फर्म मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची, झारखण्ड, प्रोपराइटर भोला प्रसाद व शुभम जायसवाल जो दिनांक 14.06.2024 से 07.08.2024 तक कम्पीटेंट परसन रहा व अन्य कम्पीनेंट परसन द्वारा वाराणसी स्थित फर्मो को भारी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति की गयी है। मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची एवं मेसर्स न्यू वृद्धि फार्मा, वाराणसी पर शुभम जायसवाल कम्पीटेंट परसन के रूप में एक ही अवधि में कार्य किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। मेसर्स डीएसए के प्रोपराइटर दिवेश जायसवाल द्वारा फर्म मेसर्स महाकाल मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर अंकुश सिंह को अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तथा दोनो फर्म एक ही पते पर स्थित है। दोनो फर्मों द्वारा भारी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सिरप का विक्रय किया गया है। दिनांक 13.11.2025 को औषधि निरीक्षक की टीम द्वारा की गयी जॉच में उक्त दोनों फर्म बन्द पायी गयी । मेसर्स न्यू पी एल फार्मा द्वारा एक ही फर्म श्री बालाजी मेडिकल के प्रोपराइटर राहुल यादव को कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति भारी मात्रा में की गयी है, भौतिक सत्यापन में फर्म मौके पर संचालित नही पायी गयी । मेसर्स जी.डी. इण्टरप्राइजेज की जॉच में यह पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा मेसर्स शैली ट्रेडर्स, रांची से भारी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सिरप क्रय की गयी है जिसके विक्रय अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है। मेसर्स जीटी इण्टरप्राइजेज, मेसर्स हर्ष फार्मा, मेसर्स डीएसए फार्मा, मेसर्स महाकाल मेडिकल स्टोर, मेसर्स निशांत फार्मा, मेसर्स वीपीएम मेडिकल एजेन्सी व श्री बालाजी मेडिकल बन्द पायी गयी । मकान मालिक व आसपास के लोगों से ज्ञात हुआ कि उक्त फर्म काफी समय से बन्द है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी स्थित कुल 26 फर्मो की जॉच/ निरीक्षण किया गया जिनको शैली ट्रेडर्स से भारी मात्रा में कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति की गयी है, जिनमें फर्म मेसर्स श्री आरएस यूटिकल्स फार्मा, स्वामी तुषार अग्रवाल, मेसर्स जीडी इण्टरप्राइजेज, फर्म स्वामी नीरज सेठ, मेसर्स न्यू पीएल फार्मा, फर्म स्वामी महेश कुमार लालवानी, मेसर्स सिन्डीकेट इण्टरप्राइजेज, फर्म स्वामी मनोज कुमार यादव, मेसर्स जी.आर.एस. मेडिकल एजेंसी, फर्म स्वामी रिषभ यादव, मेसर्स दिनेश मेडिकल एजेंसी, फर्म स्वामी राजीव यादव, मेसर्स शिल्पा फार्मा, फर्म स्वामी प्रतीक कुमार, मेसर्स श्री लोकेश फार्मा, फर्म स्वामी धर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल, मेसर्स खन्ना फार्मा, फर्म स्वामी विवेक कुमार खन्ना, मेसर्स श्री वर्षा मेडिकल एजेंसी, फर्म स्वामी अल्पेश पटेल, मेसर्स उर्मिला फार्मेसी यूटिकल्स, फर्म स्वामी मुकेश कुमार यादव, मेसर्स जी.डी. इंटरप्राइजेज, फर्म स्वामी युगेन्द्र श्रीवास्तव, मेसर्स हर्ष फार्मा, फर्म स्वामी बिरेन्द्र लाल वर्मा, मेसर्स शिवम फार्मा, फर्म स्वामी दिलीप कुमार, मेसर्स श्री एस.सी. फार्मा, फर्म स्वामी महेश खेटन, मेसर्स डी.एस.ए. फार्मा, फर्म स्वामी दिवेश जायसवाल, मेसर्स देवाथ फार्मेसी, फर्म स्वामी विकाश सिंह, मेसर्स आशा डिस्ट्रीब्यूट, फर्म स्वामी विनोद केसरवानी, मेसर्स महाकाल मेडिकल स्टोर, फर्म स्वामी अंकुश सिंह, मेसर्स निशान्त फार्मा, फर्म स्वामी प्रतीक मिश्रा, मेसर्स हरिओम फार्मा, फर्म स्वामी विशाल कुमार जायसवाल, मेसर्स मां संकठा मेडिकल, फर्म स्वामी नीरज कुमार सिंह, मेसर्स अनविन्या मेडिकल एजेंसी, फर्म स्वामी अशोक कुमार सिंह, मेसर्स श्री बालाजी मेडिकल, फर्म स्वामी राहुल यादव, मेसर्स वी.पी.एम. मेडिकल एजेंसी, फर्म स्वामी आदर्श पाण्डेय, मेसर्स जायसवाल मेडिकल्स, फर्म स्वामी आनन्द कुमार जायसवाल ।

कोडीन नॉरकोटिक्स श्रेणी की औषधि है जिसका उपयोग चिकित्सकीय प्रयोग के लिये चिकित्सक के परामर्श पर किया जाता है। इसका क्रय-विक्रय अनुज्ञप्तिधारी फर्मों द्वारा किया जाना एवं इससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख रखना एवं कम्पीटेंट अथॉरिटी के माँगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि कोडीनयुक्त सिरप का गैर-चिकित्सकीय प्रयोग

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.
(14 वाँ वि. आ.), वाराणसी

नशे के रूप किया जाता है। फर्म उपरोक्त ने विभाग द्वारा प्रदत्त औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति का दुरूपयोग कर कोडीनयुक्त औषधियों को अधिक मुनाफा कमाने व सदोष लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना खुले बाजार में नशे के प्रयोगार्थ विक्रय किया गया है। फर्मों द्वारा बिना आवश्यक विक्रय अभिलेखों के कोडीनयुक्त औषधियों को विक्रय करने का अपराध कारित किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिये जाने पर कोडीनयुक्त औषधियों का क्रय-विक्रय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। मेसर्स-शैली ट्रेडर्स के प्रोपराईटर भोला प्रसाद पुत्र एवं फर्म के कम्पीटेंट परसन शुभम जायसवाल एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा कोडीनयुक्त कफ सिरप को भारी मात्रा में वाराणसी जनपद की 26 फर्मों को विधि विरूद्ध तरीके से गैर चिकित्सकीय, नशे के रूप में प्रयोगार्थ हेतु विक्रय किया है, जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, की धारा-26(d) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उपरोक्त तथ्यों से यह भी परिलक्षित होता है कि उपरोक्त फर्मा द्वारा संयुक्त रूप से आपराधिक साठ गांठ करके औषधि लाईसेंस की आड़ में कोडीनयुक्त कफ सिरप दुरूपयोग नशे के रूप में किये जाने हेतु विक्रय किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अनुरोध है कि मेसर्स-शैली ट्रेडर्स के प्रोपराईटर भोला प्रसाद एवं फर्म के कम्पीटेंट परसन शुभम जायसवाल एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों तथा वाराणसी स्थित 26 फर्मों के मालिकों के विरूद्ध स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, की धारा-26(d) के अन्तर्गत एफ 0 आई 0 आर 0 पंजीकृत कर दोषी व्यक्तियों एवं फर्मों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने का कष्ट करें। यदि उपरोक्त फर्मों द्वारा किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित प्रमाणित होता है तो उसके अन्तर्गत भी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3- प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से आधार लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उक्त मुकदमा में गलत व फर्जी तरीके से मुल्जिम बनाया गया है। अभियोजन कथानक सरासर गलत, असत्य व मनगढ़ंत है, जिसमे रंचमात्र की सत्यता नहीं है। औषधि निरीक्षक द्वारा उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र धारा 26(D) N.D.P.S. Act मे किया गया, जो अधिकतम 3 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है, एवं दौरान विवेचना धारा- 61(2), 318(4), 336(3), 338/340(2) B.N.S व 8/21/29,26D N.D.P.S. Act की बढ़ोत्तरी की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि कोडीनयुक्त कफ सीरप के व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुलजिम किसी भी प्रकार के दवा का व्यापार नही करता है और न ही कोडीन युक्त कफ सीरप के बारे में जानकारी ही रखता है। मुलजिम बर्तन का व्यापार करता है, जिसकी मां के नाम राधिका स्टेनलेस स्टील कार्नर के नाम से थोक बर्तन की दुकान है। थाना कोतवाली, वाराणारी से दिनांक 28/3/2026 को मुलजिम के फोन पर कहा गया कि आप अपनी माता राधिका जायसवाल व शिवांगी जायसवाल को लेकर थाने आइये। मुल्जिम दिनांक 29/3/2026 को अपनी माता राधिका को थाना कोतवाली ले गया, जहाँ मुलजिम को बैठा लिया गया और दिनांक 29.03.2026 को रात में ही बिना किसी सर्च वारण्ट के पुलिस मुल्जिम के घर में छापा मारी व घर की सघन तलाशी ली, और मुल्जिम के व्यापार से सम्बंधित सभी कागजात व कैश लगभग 23 लाख रूपये ले गयी। और दो दिन तक मुलजिम को थाने पर ही बैठायी रही और दिनांक 31/3/2026 को मुलजिम को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

बरामद पैसा 22,61,000/- मुलजिम के व्यापार का था । मुलजिम के व्यापार के उक्त पैसे को ही दिखाकर फर्द बरामदगी भी गयी है, जो न्याय विरूद्ध है। पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी की गयी । मुलजिम कही से भी दवा के व्यापार में सम्मिलित नही है, उसे कोडीन युक्त कफ सिरप की कोई जानकारी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई दुष्प्रेरण नहीं किया

गया है और न ही कोई आपराधिक षडयन्त्र किया गया है। और न ही मुलजिम के दुकान द्वारा कोई कूटरचना की गयी है। न ही किसी मूल्यवान प्रतिभूति बिल इत्यादि की कोई कुटरचना ही की गयी है और न ही किसी छल के प्रयोजन हेतु कोई कूटरचना की गयी और न ही किसी कूटरचित दस्तावेज का असली के रूप में उपयोग किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 61(2) B.N.S. जो कि आपराधिक षड्यन्त्र के दण्ड के लिये है, लगायी गयी हो एवं 29 N.D.P.S. Act भी साथ-साथ लगाया गया है। जिसमे भी आपराधिक षड्यंत्र के लिये प्रावधान है, इस प्रकार एक ही अपराध के लिये उक्त दोनो प्राविधान वैधानिक रूप से नही लगाये जा सकते है। एवं इस प्रकार यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है एवं एक ही अपराध के लिये दोहरे दण्ड का सिद्धान्त के अन्तर्गत आता है। आवेदक/अभियुक्त की गिरफ्तारी मे एनडीपीएस, एक्ट के आज्ञाप्क प्राविधानों का घोर उलंघन किया गया है।

वास्तव मे आवेदक/अभियुक्त की फर्म एवं उसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। बल्कि शासन के दबाव में उसके विरुद्ध गलत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त के फर्म दुकान की जांच जिस फार्म नं० 35 पर की गयी है। उसमे कोई स्वतन्त्र गवाह भी नही रखा गया है। आवेदक/अभियुक्त की फर्म दुकान द्वारा उक्त घटना के सम्बंध में कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त F.I.R. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधि० 1940 के प्राविधानों के प्रतिकूल है तथा उसको विधि सम्मत अधिकार क्षेत्र के बाहर पंजीकृत की गयी है एवं उक्त अधि० की धारा 32 के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से उपबंधित हैं कि कोई औषधि निरीक्षक केवल सक्षम न्यायालय के समक्ष ही शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु थाने पर FIR पंजीकृत नहीं करा सकते। अतः वर्तमान एफ.आई.आर. विधि विरुद्ध है एवं औषधि निरीक्षक के कार्य क्षेत्र से बाहर है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31/3/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध है। आवेदक/अभियुक्त की माननीय-न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके पहले कोई भी जानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं है और न ही विचाराधीन है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त पते का निवासी है, उसके पास चल अचल सम्पति है, जमानत बाद पलायित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मुलजिम को उचित जमानत मुचलका पर रिहा किया जाना आवश्यक एव न्याय संगत है।

4- विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त/आवेदक द्वारा सह-अभियुक्त शुभम जायसवाल से भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त कर अपनी पत्नी व माता के नाम से शराब की दुकान का लाइसेन्स प्राप्त करने तथा सह-अभियुक्त शुभम जायसवाल के पलायित होने के बाद हवाला के माध्यम से उसे अवैध धनराशि भारी मात्रा में उपलब्ध कराने का अभियोग है, जो केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6- अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त/आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास न होने की आख्या प्रस्तुत की गयी है।

7- प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त/आवेदक द्वारा सह-अभियुक्त शुभम जायसवाल से भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त कर अपनी पत्नी व माता के नाम से शराब की दुकान का लाइसेन्स प्राप्त करने तथा सह-अभियुक्त शुभम जायसवाल के पलायित होने के बाद हवाला के माध्यम से उसे अवैध धनराशि भारी मात्रा में उपलब्ध कराने का अभियोग है।

केस डायरी के पर्चा सं. 144 में विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी का अवलोकन किया गया है, जिसमें अभियुक्त/आवेदक के मकान की तलाशी में अभियुक्त/आवेदक के मकान से कुल 22,62,350/- रुपये, कैनरा बैंक की एक अदद ब्लैंक चेकबुक, जिसके कुछ चेक हस्ताक्षरित हैं, एक अदद आई फोन, ए.ओ.पी. की छायाप्रति व हवाला के माध्यम से धनराशि प्रेषित किये जाने हेतु कोडवर्ड के रूप में प्रयोग किये जाने वाले एक अदद 10 रुपये के नोट बरामद किया गया है। केस डायरी के पर्चा सं. 154 में विवेचक द्वारा अभियुक्त/आवेदक वैभव जायसवाल की माता राधिका जायसवाल व पत्नी शिवांगी जायसवाल के बैंक खातों के स्टेटमेंट का अवलोकन किया गया है, जिसमे प्रकरण के सह-अभियुक्त भोला प्रसाद के खाते से राधिका जायसवाल के बैंक खाते में 23,55,000/- रुपये व शिवांगी जायसवाल के खाते में 57,10,000/- रुपया ट्रांसफर होना पाया गया है तथा उक्त धनराशि 2 शराब की दुकान का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु यू.पी. साइबर ट्रेजरी के स्टेट बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाना पाया गया है।

अभियुक्त/आवेदक द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में स्वयं द्वारा उक्त शराब की दुकानों का पैसा हवाला के माध्यम से सह-अभियुक्त शुभम जायसवाल को भेजने तथा सह-अभियुक्त शुभम जायसवाल की पत्नी वैशाली पुर्सवानी के नाम बैंक एकाउंट खुलवाकर उससे चेक प्राप्त करने तथा उक्त चेकों पर उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाना स्वीकार किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध विवेचना अभी प्रचालित है।

अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गंभीर प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

8- आवेदक/अभियुक्त **वैभव जायसवाल** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1702/2026 निरस्त किया जाता है।

(मनोज कुमार-II)
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.(14 वाँ वि.आ.),वाराणसी।
जे.ओ.कोड-यू.पी.1827

दिनांकः05.06.2026
Steno-Shahbaz

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.
(14 वाँ वि. आ.), वाराणसी